डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: 312/869/2017
दिनांक:- 07/11/2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश,
राज्यपाल सचिवालय,
लखनऊ।

विषय:- डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नवीन महाविद्यालय एवं नवीन पाठ्यकम संचालित करने के लिये सम्बद्धता हेतु प्रोसेसिंग फीस के निर्धारण को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त महामहिम कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति लेने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा एक वित्तीय स्व संसाधनयुक्त (अनानुदानित) विश्वविद्यालय है। इसे योजनागत एवं गैर योजनागत कोई भी अनुदान शासन द्वारा प्राप्त नहीं होता है। सम्बद्धता प्रोसेसिंग फीस में विगत वर्षो से कोई वृद्धि नही हुयी थी। सम्बद्धता प्रोसेसिंग शुल्क में वृद्धि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.06.2015 को सम्बद्धता प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि का निर्णय लिया गया (संलग्नक-1), जिसे कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27.06.2015 के पूरक कार्यवृत्त के मद संख्या-3 पर सम्बद्धता प्रोसेसिंग फीस का अनुमोदन प्रदान किया गया (संलग्नक-2)। सत्र 2015-16 से नवीन महाविद्यालय एवं नवीन पाठ्यकमों को संचालित करने हेतु सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व सम्बद्धता प्रोसेसिंग फीस (**non-refundable**) जो वापस नहीं होगी, को वित्त समिति एवं कार्यपरिषद द्वारा संस्तुत किया गया है। विभिन्न संकाय/पाठ्यकम/विषयों में सम्बद्धता प्रोसेसिंग फीस वृद्धि अध्यादेश सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव निम्नवत् पारित किया गया:-

1. स्नातक कला संकाय के सात विषय रु. 1,00,000/-
2. स्नातक विज्ञान संकाय के पॉच विषय रु. 1,25,000/-
3. स्नातक वाणिज्य संकाय हेतु रु.75,000/-
4. स्नातक विधि संकाय हेतु रु. 75,000/-
5. स्नातक स्तर पर प्रत्येक अतिरिक्त विषय रु. 20,000/-
6. बी.एड./बी.पी.एड./एम.एड./एम.पी.एड. एवं प्रोफेशनल कोर्स रु. 1,50,000/-
7. स्नातकोत्तर प्रति विषय रु. 30,000/-
8. अनापत्ति/निर्वाचन (क्लीयरेनस) हेतु आवेदन पत्र शुल्क जो सम्बद्धता विभाग से प्राप्त होगें रु. 2000/-

वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.06.2015 के उपरोक्त सम्बद्धता प्रोसेसिंग फीस वृद्धि संबंधी संस्तुति कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27.08.2015 द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदित किया गया एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.11.2016 द्वारा वृद्धि प्रस्ताव को कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 27.08.2015 से प्रभावी माना गया (सलग्नकः–3)। विश्वविद्यालय के पत्र संख्याः सी.ओ.ई./442/2016 दिनांक 15.12.2016 द्वारा उक्त सम्बद्धता प्रोसेसिंग फीस का निर्धारण किये जाने विषयक अध्यादेश के प्रारूप को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया (सलग्नकः–4) जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–52 की उपधारा–3(ग) के अन्तर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान करने की सूचना संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 द्वारा अपने पत्र संख्याः 897/सत्तर–1–2017–16(74)2016 टी.सी. दिनांक 26.10.2017 द्वारा दी गई है। (सलग्नक–5)

अतः अनुरोध है कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 24.06.2015 द्वारा संस्तुत कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27.08.2015 द्वारा अनुमोदित तथा राज्य सरकार की संलग्न स्वीकृति के कम में, उपरोक्त संशोधित अध्यादेश पर महामहिम कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नकः यथोपरि।

(आर.पी. सिंह)
पी.सी.एस
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षक, कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव